E-mail

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र07-ज0वि0प्र0-05/2009- 6902 /खाद्य/पटना, दिनांक- 28.8.2015

प्रेषक,

प्रकाश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय :- जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की अनुज्ञप्ति रद्द करने में सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश- 2011 की कंडिका-7(ii) में निहित प्रावधानों का अनुपालन अक्षरशः किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश- 2011 की कंडिका-7(ii) में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों का उलंघन किये जाने के पश्चात् उनके अनुज्ञप्ति को रद्द किये जाने का प्रावधान किया गया है, साथ ही उक्त कंडिका में यह भी प्रावधान निहित है, कि "रद्दकरण का कोई आदेश तबतक नहीं किया जाएगा जबतक कि अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित रद्दकरण के विरूद्ध अपने मामले का कथन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया है" ।

2. सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश- 2011 निर्गत होने पश्चात् भी विभिन्न स्तरों से यह ज्ञात हो रहा है, अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उक्त संशोधन आदेश का अक्षरशः अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप अनुज्ञप्तिधारी द्वारा न्यायालय में अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने में अपनायी गयी प्रक्रियात्मक भूल को आधार बनाकर राहत प्राप्त कर लेते हैं एवं उनके द्वारा की गयी अनुज्ञप्ति के शर्तो का उल्लंघन यथावत् रह जाता है ।

अतः अनुरोध है कि सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश- 2011 की कंडिका-7(ii) में प्रावधानित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन करते हुए जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाय, एवं हर संभव प्रयास किया जाय, कि अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने में कोई प्रक्रियात्मक भूल नहीं हो जिसके आधार पर अनुज्ञप्तिधारी को सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त हो सके ।

कृपया इसे कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नकः- यथोक्त ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-ज0वि0प्र0-05/2009- 6902 /खाद्य/पटना, दिनांक- 28.8.2015

प्रतिलिपि- सभी अनुमंडल पदाधिकारी -सह- अनुज्ञापन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/सभी अनुज्ञापन पदाधिकारी से

अनुरोध है कि अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई किये जाने में सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश-2011 की कंडिका-7(ii) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-ज0वि0प्र0-05/2009- 6902 /खाद्य/पटना, दिनांक- 28-8-2015

प्रतिलिपि- श्री निर्मल कुमार सिंह, सरकारी अधिवक्ता संख्या- 26, महाधिवक्ता का कार्यालय, पटना एवं महामंत्री केयर प्राईस डीलर्स एशोसिएसन, पटना तथा बिहार प्रदेश जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।